

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

AF 901208

- 4 -

समाजिक व्यवस्था द्वारा किये गये परिवर्तनकारी कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक उच्च अर्थव्यवस्था परीक्षण (डिप्लोमा) की प्रणाली है। यह व्यवस्था सरकारी विभिन्न अर्थव्यवस्था के सभी भागों में लागू की जायेगी।

आय और सहायता :-

समाजिक व्यवस्था के लिए प्रत्येक वर्ष एक सहायता की राशि सरकार के पास आवंटित की जायेगी। यह राशि प्रत्येक वर्ष सरकार के पास आवंटित की जायेगी।

आय सहायता :-

समाजिक व्यवस्था के लिए प्रत्येक वर्ष एक सहायता की राशि सरकार के पास आवंटित की जायेगी।

आय सहायता :-

समाजिक व्यवस्था के लिए प्रत्येक वर्ष एक सहायता की राशि सरकार के पास आवंटित की जायेगी। यह राशि प्रत्येक वर्ष सरकार के पास आवंटित की जायेगी।

आय सहायता :-

- (1) आय सहायता का प्रत्येक वर्ष एक सहायता की राशि सरकार के पास आवंटित की जायेगी।
- (2) आय सहायता की राशि प्रत्येक वर्ष सरकार के पास आवंटित की जायेगी।
- (3) आय सहायता की राशि प्रत्येक वर्ष सरकार के पास आवंटित की जायेगी।
- (4) आय सहायता की राशि प्रत्येक वर्ष सरकार के पास आवंटित की जायेगी।
- (5) आय सहायता की राशि प्रत्येक वर्ष सरकार के पास आवंटित की जायेगी।
- (6) आय सहायता की राशि प्रत्येक वर्ष सरकार के पास आवंटित की जायेगी।
- (7) आय सहायता की राशि प्रत्येक वर्ष सरकार के पास आवंटित की जायेगी।

आय सहायता की राशि के विवरण की सूची :-

- (1) आय सहायता की राशि प्रत्येक वर्ष सरकार के पास आवंटित की जायेगी।

(Handwritten signature)
[Red circular stamp]

12/10/2020

[Red circular stamp]

[Red circular stamp]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

AF-901-200

- 5 -

- (88) क्या पत्र-पत्रिका है।
- (89) विद्युत बिजली का क्या है।
- (90) विद्युत बिजली के अभाव में क्या किया जाता है।
- (91) बिजली के बिजली के अभाव में क्या किया जाता है।
- (92) बिजली के बिजली के अभाव में क्या किया जाता है।

विचार :-

- (93) यह विचार करें कि क्या बिजली बिजली के अभाव में क्या किया जाता है।
- (94) बिजली के अभाव में क्या किया जाता है।

विचार :-

यह विचार करें कि क्या बिजली बिजली के अभाव में क्या किया जाता है।

विचार :-

- (95) बिजली के अभाव में क्या किया जाता है।
- (96) बिजली के अभाव में क्या किया जाता है।
- (97) बिजली के अभाव में क्या किया जाता है।
- (98) बिजली के अभाव में क्या किया जाता है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

AF 501210

- (1) नाम में सभी कार्य पूरा हो एक ही श्रेणी में हों।
 (2) समिति तथा उप-समितियों का नाम '50' का एक गैर न्यायिक द्वारा निर्दिष्ट वर्णिक में अनुमति प्राप्त।
 (3) एक विशेष समिति तथा नाम में एक सदस्यिका, अधीनस्थ तथा प्राप्त प्राप्त, सभी कार्य की नाम परिषद का विधि हों।

कार्यकारी/न्याय परिषद की कार्यसूची -

- (1) कार्यकारी की अध्यक्षता प्रत्येक निर्दिष्ट कार्य और सभी अनुसूची में सभी कार्य तथा समिति की अनुसूची में समिति द्वारा कुल एक सेवानुसार सभी कार्यका करेंगे।
 (2) कार्यकारी न्याय की विशेष की सेवा में एक अधीनस्थ कार्यकारी न्याय की (1) द्वारा को भालदे।
 (3) प्रत्येक सेवा की तुलना 21 दिन पहले की जाये। अनौपचारिक सेवा सभी की तुलना को करनी है।
 (4) कार्यकारी न्याय की सेवा द्वारा जो कि 140 प्रतिशत में सेवा का एक विशेष एक स्थान प्रत्येक प्रकार को सेवा के कारण की जाये जायेगा।
 (5) इस विषय में प्रत्येक विशेष अधिक द्वारा जारी किए जायेंगे।

प्रशासनिक कार्य -

कार्यकारी समिति, प्रशासनिक कार्य समिति को समिति की अधीनस्थ समिति अधीनस्थ की सभी हस्त प्रेषित को करें, अन्य निर्दिष्ट प्रशासनिक कार्य हों।

- (1) प्रशासनिक कार्य
 (2) प्रशासन
 (3) संचालन/निदेशक
 (4) संस्थापक/संचालन अधिकारी
 (5) नाम परिषद द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य हों
 (6) प्रत्येक विशेष की कार्य -

नाम द्वारा निर्दिष्ट नाम में जो भी आवश्यकतानुसार किए जायेंगे प्रत्येक निर्दिष्ट करेंगे।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

भारतीय नैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 901211

- 7 -

(अ) अग्रज -

एक रुप तिथि का वे जो वे जारद्वीज प्रयुक्त किए जरीय जका निरुत करे।

(ब) सचिव/निदेशक -

नाम जरी तिथि का वे जो वे जारद्वीज प्रयुक्त किए जरीय जका निरुत करे।


(ग) वापसकार/लेखा अधिकारी -

एक रुप तिथि का वे जो वे जारद्वीज प्रयुक्त किए जरीय जका निरुत करे।

(घ) न्याय अधिकारी द्वारा पंक्ति अन्य कोई सू-

नाम जरी तिथि का वे जो वे जारद्वीज प्रयुक्त किए जरीय जका निरुत करे।


दस्तावेज बर्तनिकार का कर्तव्य - तल - एतुका जरीय न.पी. संख्या निरुत करे।



Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten text: जिला न्यायाधीश, न्यायिक न्यायालय, जिला न्यायालय

Handwritten signature

Handwritten text: जिला न्यायाधीश, न्यायिक न्यायालय, जिला न्यायालय

Handwritten text: जिला न्यायाधीश, न्यायिक न्यायालय, जिला न्यायालय

Handwritten signature

3837
28
12-5-47

मा. 3137

श्री. ५५
श्री. ५५
श्री. ५५
श्री. ५५
श्री. ५५
श्री. ५५



आज दि. 20-9-47 को
श्री. ५५ को IV अंश में
के. ५५ को ५५ अंश में
ए. ५५ को ५५ अंश में

श्री. ५५
श्री. ५५
श्री. ५५
श्री. ५५